जीसीएमएस नं–2017/00046

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

रेफरेन्स प्रकरण सं0 01/2017

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व), सादुलशहर।

प्रार्थी

बनाम

1. लालसिंह पुत्र श्री मुखत्यार सिंह, जाति बावरी, निवासी 40 एनपी, तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 बाबत् चक 23 पीटीपी के मु.न. 16 कि.न. 11 ता 20, 22 ता 25, एवं मु.न. 17 कि.न. 21, मु.न. 23 कि.न. 1ता 4, 7 ता 12 कुल 25 बीघा नहरी आराजी का रैफरेंस मार्फत जिला कलेक्टर, श्रीगंगानर से राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर से करवाये जाने एवं इंतकाल संख्या 17 दिनांक 17.09.1974, 227 दिनांक 20.03.2007, 332 दिनांक 22.06.2009, 336 दिनांक 07.07.2009 को निरस्त किया जाकर मुताबिक इंतकाल संख्या 16 दिनांक 14.09.1974 को बहाल किया जाकर आराजी राजस्व रिकार्ड में स्व. ईश्वर के वारिसान के नाम से दर्ज किया जाने बाबत्।

उपस्थित :–

1. राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से।
2. श्री चरणदास कम्बोज, अधिवक्ता अप्रार्थी।

:: आदेश ::

दिनांक : 29.05.2026

स्टेट की ओर से तहसीलदार, सादुलशहर द्वारा अप्रार्थी के खिलाफ भू0 राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चक 23 पीटीपी के प.न. 91/139 मु.न. 16 कि.न. 11 ता 20, 22 ता 25, प.न. 92/139 मु.न. 17 कि.न. 21 सालम, प.न. 91/140 मु.न. 23 कि.न. 1 ता 4, 7 ता 12 कुल 25 बीघा नहरी आराजी ईशर पुत्र श्री राम सिंह जाति मजहबी निवासी हाथियांवाली, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर को पुख्ता अलॉट हुई थी। जिसकी खातेदारी ईंतकाल संख्या 15 दिनांक 14.09.1974 को हो गया था। ईशर पुत्र श्री राम सिंह की मृत्यु हो चुकी है। ईशर की मृत्यु के बाद उक्त वर्णित आराजी का विरासतन ईंतकाल संख्या 16 दिनांक 14.09.1974 को दर्ज हो चुका था। उक्त आराजी को भजनलाल पुत्र श्री हीरा जाति नाई

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Say No to Drugs

Scanned with OKEN Scanner

निवासी रामपुरिया तहसील व जिला फाजिल्का ने अपनी जाति नाई छुपाकर गलत तरीके से अपनी जाति मेघवाल दर्शाकर एवं उक्त आराजी शून्य बैयनामा अपने पक्ष में तस्दीक होना बताकर उक्त आराजी का ईंतकाल संख्या 17 दिनांक 17.09.1974 को करवाया था। उक्त बैयनामा शुरू से ही शून्य है क्योंकि जाति नाई का व्यक्ति अनूसूचित जाति के व्यक्ति की आराजी को खरीद ही नहीं सकता था। उक्त आराजी के संबंध में एक वाद संख्या 13/1985 सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183 बी आरटीए बअनवानी पोला सिंह बनाम रामजस आदि प्रस्तुत हुआ था। जिसका निर्णय दिनांक 30.07. 1985 को हो गया था। जिसमें प्रतिवादीगण रामजस आदि को बेदखल किया जाकर कब्जा उक्त वर्णित आराजी का प्रार्थीगण को दिलवाया गया था। उक्त आदेश से पूर्व पटवारी हल्का से भजनलाल की जाति के संबंध में तस्दीक करवायी गई थी। जिसमें पटवारी हल्का द्वारा भजनलाल की जाति नाई निवासी रामपुरिया बताया गया था एवं उसके तीन भाई रामपुरिया में रहने बताये गए थे। माननीय उपखंड अधिकारी हनुमानगढ़ के आदेशानुसार उक्त आराजी का कब्जा भी पोला सिंह को दिनांक 11.12.1985 को दिलवाया गया था।

भजनलाल ने रेवेन्यु पटवारी से मिलकर अपनी जाति छुपाकर शून्य बैयनामा के आधार पर उक्त वर्णित आराजी का ईंतकाल संख्या 17 दिनांक 17.09.1974 को करवाया था। माननीय राजस्व मंडल द्वारा नजीर आर.आर.डी. 199 पेज न. 322 में यह निर्णित किया है कि अनूसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनूसूचित जाति के व्यक्ति के पक्ष में किया गया बैयनामा अवैध एवं शून्य है। भजनलाल ने उक्त भूमि को जरिए बैयनामा नत्थूराम उर्फ नत्थूसिंह पुत्र लाल सिंह जाति बावरी निवासी प्रतापपुरा को उक्त आराजी बेचान कर दी थी जिसका ईंतकाल संख्या 227 दिनांक 20.03.2007 को हो चुका है और नत्थूराम उर्फ नत्थू सिंह ने उक्त आराजी जरिए बैयनामा लाल सिंह पुत्र श्री मुख्तयार सिंह जाति बावरी निवासी 40 एनपी तहसील रायसिंहनगर को बेचान कर दी है। जिसका ईंतकाल संख्या 332 दिनांक 22.06.2009 एवं ईंतकाल संख्या 336 दिनांक 07.07.2009 को हो चुका है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि उक्त वर्णित आराजी का शून्य बैयनामा के आधार पर भजनलाल का ईंतकाल संख्या 17 दिनांक 17.09.1974 एवं भजनलाल द्वारा उक्त भूमि को जरिए बैयनामा नत्थुराम उर्फ नत्थूसिंह पुत्र श्रीलाल सिंह जाति बावरी निवासी प्रतापपुरा को बेचान करने पर ईंतकाल संख्या 227 दिनांक 20.03.2007 एवं नत्थूराम उर्फ नत्थूसिंह द्वारा उक्त आराजी जरिए बैयनामा लाल सिंह पुत्र श्री

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Say No to Drugs

Scanned with OKEN Scanner

मुख्तयार सिंह को बेचान करने पर इंतकाल संख्या 332 दिनांक 2206.2009 एवं 336 दिनांक 07.07.2009 जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है। उक्त समस्त ईंतकाल संख्याओं को निरस्त करके उक्त वर्णित आराजी चक 23 पीटीपी का इंतकाल जरिए रैफरेंस राजस्व रिकॉर्ड में ईसर सिंह के वारिसान पोला सिंह, जीत सिंह, हजूर सिंह, टहल सिंह पिसरान ईशर सिंह कौम मजबी साकिनान हाथियांवाला, तहसील सादुलशहर के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

रेफरेन्स प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता श्री चरणदास कम्बोज उपस्थित आये। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 23.05.2017 को वकालतनाम प्रस्तुत किया गया, उसके उपरांत जवाब पेश करने हेतु वर्ष 2017 से लेकर आदिनांक तक लगभग 09 वर्षों का समय बीत जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित नहीं। राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि प्रस्तुत रैफरेंस में चक 23 पीटीपी के प.न. 91/139 मु.न. 16 कि.न. 11 ता 20, 22 ता 25, प.न. 92/139 मु.न. 17 कि.न. 21 सालम, प.न. 91/140 मु.न. 23 कि.न. 1 ता 4, 7 ता 12 कुल 25 बीघा नहरी आराजी ईशर पुत्र श्री राम सिंह जाति मजहबी निवासी हाथियांवाली, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर को पुख्ता अलॉट हुई थी। जिसकी खातेदारी ईंतकाल संख्या 15 दिनांक 14.09.1974 को हो गया था। ईशर पुत्र श्री राम सिंह की मृत्यु हो चुकी है। ईशर की मृत्यु के बाद उक्त वर्णित आराजी का विरासतन ईंतकाल संख्या 16 दिनांक 14.09.1974 को दर्ज हो चुका था। उक्त आराजी को भजनलाल पुत्र श्री हीरा जाति नाई निवासी रामपुरिया तहसील व जिला फाजिल्का ने अपनी जाति नाई छुपाकर गलत तरीके से अपनी जाति मेघवाल दर्शाकर एवं उक्त आराजी शून्य बैयनामा अपने पक्ष में तस्दीक होना बताकर उक्त आराजी का ईंतकाल संख्या 17 दिनांक 17.09.1974 को करवाया था। उक्त बैयनामा शुरू से ही शून्य है क्योंकि जाति नाई का व्यक्ति अनूसूचित जाति के व्यक्ति की आराजी को खरीद ही नहीं सकता था। मुताबिक रैफरेन्स तहसीलदार सादुलशहर उक्त आराजी के संबंध में एक वाद संख्या 13/1985 सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183 बी आरटीए बअनवानी पोला सिंह बनाम रामजस आदि प्रस्तुत हुआ था। जिसका निर्णय दिनांक 30.07.1985 को हो गया था। जिसमें प्रतिवादीगण रामजस

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Say No to Drugs

Scanned with OKEN Scanner

आदि को बेदखल किया जाकर कब्जा उक्त वर्णित आराजी का प्रार्थीगण को दिलवाया गया था। उक्त आदेश से पूर्व पटवारी हल्का से भजनलाल की जाति के संबंध में तस्दीक करवायी गई थी। जिसमें पटवारी हल्का द्वारा भजनलाल की जाति नाई निवासी रामपुरिया बताया गया था एवं उसके तीन भाई रामपुरिया में रहने बताये गए थे। माननीय उपखंड अधिकारी हनुमानगढ़ के आदेशानुसार उक्त आराजी का कब्जा भी पोला सिंह को दिनांक 11.12.1985 को दिलवाया गया था। माननीय राजस्व मंडल द्वारा नजीर आरआर डी 199 पेज न. 322 में यह निर्णित किया है कि अनूसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनूसूचित जाति के व्यक्ति के पक्ष में किया गया बैयनामा अवैध एवं शून्य है। अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर उक्त समस्त इन्तकालो को निरस्त कर जरिए रैफरेंस राजस्व रिकॉर्ड में ईसर सिंह के वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध चक 23 पीटीपी के प.न. 91/139 मु.न. 16 कि.न. 11 ता 20, 22 ता 25, प.न. 92/139 मु.न. 17 कि.न. 21 सालम, प.न. 91/140 मु.न. 23 कि.न. 1 ता 4, 7 ता 12 कुल 25 बीघा नहरी आराजी ईशर पुत्र श्री राम सिंह जाति मजहबी निवासी हाथियांवाली, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर को पुख्ता अलॉट हुई थी। ईंतकाल संख्या 17 दिनांक 17.09.1974 जरिए रजिस्ट्री सबरजिस्ट्रार, सादुलशहर में पंजीबद्ध बैयनामा के आधार पर भजनलाल वल्द हीरालाल कौम मेघवाल, साकिन रामपुरिया तहसील फाजिल्का, जिला फिरोजपुर दर्ज हुआ। पटवारी हल्का खैरूवाला की रिपोर्ट दिनांक 23.05.2016 के बिंदू संख्या 7 में यह वर्णित किया गया है कि केता भजनलाल की जाति के संबंध में भू.अ.नि. सादुलशहर द्वारा दिनांक 28.02.1989 को रिपोर्ट की गई थी कि भजनलाल की जाति नाई है। पटवार हल्का की रिपोर्ट के संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा कोई भी दस्तावेज इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि भजनलाल की जाति नाई है, केवल मात्र केता भजनलाल की जाति नाई लिखे जाने से रैफरेंस स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतः इस परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार, सादुलशहर द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अतः रेफरेन्स में वर्णित भूमि चक 23 पीटीपी के प.न. 91/139 मु.न. 16 कि.न. 11 ता 20, 22 ता 25, प.न. 92/139 मु.न. 17 कि.न. 21 सालम, प.न. 91/140 मु.न. 23 कि.न. 1 ता 4, 7 ता 12 कुल 25 बीघा नहरी के संबंध में तहसीलदार सादुलशहर द्वारा प्रस्तुत रैफरेंस अस्वीकार किया जाकर प्रकरण

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार सादुलशहर को इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि कब्जे के संबंध में उपरोक्त वर्णित रकबे की जांच कर यदि जांच में उपरोक्त वर्णित रकबा पर किसी सामान्य जाति के व्यक्ति का कब्जा पाया जाता है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी के तहत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति. जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Say No to Drugs

Scanned with OKEN Scanner